REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 7 | APRIL - 2024

भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन

आरती जायसवाल
शोधार्थी- समाजशास्त्र विभाग
महाराजा छत्रशाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर.

सारांश:

"नारी को शिक्षित करने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना" वर्तमान युग को बैचारिकता का युग कहा जाता है। अगर एक महिला अथवा गृहिणी की शिक्षा-दिक्षा अच्छी नहीं होगी तो वह परिवार समाज व राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे सकते है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं को शिक्षित करना भारत की कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या, भ्रण-हत्या, और कार्य स्थल पर उत्पीणन आदि को दूर किया जा सकता है। अगर महिला स्वयं शैक्षणिक दृष्टिकोण से जागरूक होगी तो वह परिवार समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पायेगी क्योकि स्त्रियां स्वयं राष्ट्र की आधी से कम जनसंख्या है तथा दूसरा बच्चे युवा प्रोढ और वृद्धजन उन पर अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते है।

मुख्य शब्द – महिला, शिक्षा, संवैधानिक, अनुच्छेद, योजना, अधिकार,

प्रस्तावना –

पं जवाहरलाल नेहरू के शब्दो मे

"आप किसी देश की स्थिति उसमें मौजूद महिलाओ की हालत देख कर समझ सकते है"

अर्थात किसी भी समाज के विकास स्तर को समझने के लिए उसमें महिलाओं की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। महिलाएं समाज में स्त्री, पत्नी, बहन, तो कही मां के रूप में महत्व रखती है। भारत की सभ्यता पांच हजार साल पुरानी मानी गई है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिन्धु घाटी सभ्यता को समझा जाता है। इस सभ्यता में नारी जीवन की कुछ झलक मिलती है। इस काल में नारी की पूजा लोकप्रिय थी वैदिक युग में नारी की प्रति सम्मान झलकता है। शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है। जिसका प्रमुख लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अधेरे को दूर करना है। किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगाति के लिए महिलाओं को शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का यह है कि हम यह जानने का प्रयास करे कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है। महिलाओं को क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए है। तथा उनकी शैक्षणिक योजनाओं तक कितनी पहुंच है।भारत में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान (52.66%) और विहार में (53.33%) महिला की स्थिति काफी खराब है। महिला साक्षरता दर (65.46%) देश की कुल साक्षरता दर(74.04) से भी कम है।

संविधान के अनुच्छेद 14,15,10,के अन्तर्गत समनता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को समाहित किया गया है। अनुच्छेद 45 में छ: वर्ष से कम आयु कें बालको के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देख-रेख तथा शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इतने अधिनियम विभिन्न योजनाएं अधिकार तथा सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में अभी भी उतनी उन्नति नहीं हुई है। आज भी महिलाए शिक्षा में पिछडी हुई है। महिलाओं की वर्तमान में साक्षरता दर की स्थिति में जानने के लिए और सरकार द्वारा महिला शिक्षा के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को जानने के लिए यह शोध पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

उद्देश्य-

1. भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को ज्ञात करना।
2. महिला साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारको को ज्ञात करना।
3. महिला शिक्षा की आवश्यकता।
4. महिलाओं के शैक्षणिक विकाश हेतु चलायी जा रही सरकारी योजनाओ और संवैधानिक अधिकारों के प्रभाव को ज्ञात करना।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध अध्ययन में विश्लेषणात्मक तुलनात्मक एवं नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुए शोध पत्र को मौलिकता प्रदान किया गया है। शोध कार्य हेतु आवश्यक सामग्री इंटरनेट राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय पुस्तकालयों प्राचीन ग्रन्थ साथ ही विभिन्न आयोगों के प्रकाशन आत्मलेखों से लेखन सामग्री संग्रहित की गई है।

भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति-

तालिका क्र. 01

पुरूष और महिला साक्षरता दर 1951 से 2011

वर्ष	पुरूष साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	कुल साक्षरता
1951	24.4	7.3	18.33
1971	34.4	13.0	28.30
1981	39.5	18.7	34.45
1991	63.9	36.2	52.21
2001	76.0	54.0	64.84
2011	82.14	65.46	74.04

स्त्रोत- भारत 2011 की जनगणना रिपोर्ट (http. Censusindia.gov.in)

भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत वर्ष 2011 में 7.3 से बढकर 65.46 हो गया है। परन्तु पुरूषों की साक्षरता दर 82.14 से काफी कम है जो एक चिंता का विषय है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर (58.75) बहुत कम है भारत में अधिकांश महिलाएं अभी भी अशिक्षित और पिछडी हुई है।

तालिका क्र. 02

वर्ष-2014,15 में स्कूल और उच्च शिक्षा में नामांकन

स्तर	पुरूष	महिला	नामांकन
प्राथमिक	102110	95556	6554
माध्यमिक	20121	18180	1941
उच्च माध्यमिक	12440	11061	1379
उच्च शिक्षा	18488	15723	2765

स्त्रोत- शैक्षिक सांख्यिको एक नजर 2014,15,मानव संसाधन विकाश मंत्रालय स्कूल विभाग शिक्षा और साक्षरता से लिया गया है। तालिका क्र 02- के अनुसार प्राथमिक स्तर शाला में महिलाओं का नामांकन 95556 जो कि पुरूषों से काफी कम है इसी तरह महिलाओं का नामांकन माध्यमिक उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा में पुरूषो से काफी कम है जो कि एक चिंता का विषय है।

भारत में महिला साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक-

हमारे समाज में पुरूषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा के समान-समान अवसर की समानता करने के सरकार के प्रयासों के वाबजूद भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। विशेष रूप से ग्रमीणों में महिला शिक्षा की स्थिति और खराब है। स्कूल कांलेज दूर होने के कारण शिक्षा बन्द करवा दी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या दहेज जैसी समस्या के कारण कई परिवारों को बालिकाओं को शिक्षित करना अव्यवहारिक लगता है। लैगिंक भूमिका में असमानता के कारण बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने की भूमिका कम है

लैगिंक भूमिका के संबंध में रूढिग्रस्तता

वास्तव में महिला पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है। महिलाओं को बच्चो के पालन-पोषण और घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता है। भारत के कई भागों में विशेष रूप से ग्रमीण क्षेत्रो में घर से बाहर जाकर महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना या नौकरी करना अच्छा नहीं माना जाता है।

जागरूकता की कमी-

महिलाओं में जागरूकता की कमी के कारण विभिन्न प्रकार की महिला शिक्षा तथा महिला कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी न होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती है विवाह की कम आयु भी महिला शिक्षा को प्रभावित करती है।

माता- पिता का आशिक्षित होना-

यदि माता-पिता अशिक्षित है तो अपने बच्चे की उच्च शिक्षा में कम रूझान रखते है। और धीरे-धीरे माता-पिता की अशिक्षा बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करने लगती है।

आर्थिक स्थिति का कमजोर होना-

भारत की जनसंख्या का बडा भाग गरीबी रेखा के नीचे निवास करता है इस कारण से आधे से अधिक जनसंख्या के परिवार उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और इसी कारण महगी शिक्षा अपने बच्चों को देने में असमर्थ है।

महिला शिक्षा की आवश्यकता-

डां राम अहूजा कहते है कि –शक्षित महिलाओं की अपेक्षा अशिक्षित महिलाओं को अधिक प्रताणित किया जाता है। महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा कन्या भूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीडन आदि को दूर किया जा सकता है।यह निश्चित तोर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा।

1. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है। महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित होती है बच्चो का पालन-पोषण उतना ही अच्छा होता है।
2. अधिकार कें प्रति जागरूकता- महिला शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है अगर महिला शिक्षित होगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी और सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं और संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठाने में सक्षम होगी।

3. आत्मनिर्भरता- शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है शिक्षा के माध्यम से महिला अपनी पहचान बनाती है तथा अपने सपने एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढने का प्रयास करती है।
4. समाज व राष्ट्र की प्रगाति में योगदान-समाज व राष्ट्र की प्रगाति में महिला का भी बडा योगदान है। आज भी महिलाएं राष्ट्र की प्रगाति के लिए पुरूषों के कंन्धे से कन्धा मिलाकर काम कर रही है। खेतीबारी से लेकर वायुयान उडाने तथा आंतरिक्ष तक जा रही है। गांव में आज महिलाएं पंच सरपंच एवं मुखिया के पद पर काम कर रही है।

महिलाओं के शैक्षणिक विकास हेतु चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और संवैधानिक अधिकारों के प्रभावों को ज्ञात करना-

महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार- भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है भारत के संविधान में महिला और पुरूष में बराबरी और समानता की बात को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नीति निर्दिशक तत्व व मूल कंर्तव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत के संविधान में मानवधिकारों को पूर्ण सम्मान दिया गया है।

अनुच्छेद 14- भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियां के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 15- का उद्देश्य विशेष प्रकार से स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करना है।

अनुच्छेद 16- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है।

अनुच्छेद45- 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारम्भिक बाल्यवस्था देख-रेख और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को नि: शुल्क शिक्षा।

महिलाओं के शैक्षणिक विकास हेतु चलाई जा रही सरकारी योजना-

बेटी बचाओं बटी पढाओं- इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को कानून और चिकित्सा की सुविधा प्रदान करती है। घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं की मदद करती है वर्ष 2015 में देश भर में घटते लिंगानुपात के मुद्दे को संवोंधित करने के लिए की गई।

कस्तूबा गांधी बालिका विद्यालय- इस योजना की सुरूआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रो में लडकियों के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था हेतु की गई थी।

महिला सामाख्या–महिला समाख्या कार्यक्रम की सुरूआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों कें अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें शशक्त करने हेतु की गई थी।

Mid-day-Meel- इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रोटीनयुक्त दोपहर का भोजन दिया जाता है।

सुकन्या समृद्धि योजना-इसके माध्यम से 10 साल से छोटी बच्ची को शिक्षा दिया जायेगा और अनकी शादी की आयु में अर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा यह योजना खासतौर पर उनके उज्जवल भविष्य और अच्छी शिक्षा के लिए 2015 में शुरू की गई थी।

निष्कर्ष- महिला शिक्षा किसी भी समाज की महिलाओं के साथ-साथ पूरे समाज के आर्थिक सामाजिक राजनैतिक व शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक है एक शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है जिससे वह अपने समाज पर हो रहे अन्याय के प्रति आवाज उठा सकती है इसी प्रकार शिक्षित महिला अपने स्वस्थ्य के प्रति अपने योगदान देती है।

इसलिए महिला कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है जिससे बेटी-बचाओं-बटी-पढाओं योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महिला समस्या और मध्यान भोजन व सरकार द्वारा विभिन्न स्कालरशिप योजनाए चलाई जा रही है।

किन्तु योजनाओं व संविधानिक अधिकारो के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ 2001 में जहां महिला साक्षरता 54.0 है वही 2011 में 65.46 है जिससे बढोत्तरी तो हुई है किन्तु संतोषजनक नहीं है इसी तरह 2014-2015 स्कूल शिक्षा नामांकन में महिलाओं की स्थिति प्राथामिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षा में पुरूषों से काफी पीछे है। इस तथ्यों से प्रदर्शित होता है। कि सरकार के तमाम

प्रयासों के बाद भी महिला साक्षरता की स्थिति व स्कूली के नामांकन में ज्यादा सुधार नहीं आया है। महिलाओं में कम साक्षरता व कम नामांकन के कारण समाज में मोजूद पुरूषसन्तात्मक सोच माता-पिता का अशिक्षित होना परिवार की आर्थिक स्थिति समाज में महिला कल्याण व अधिकार की जानकारी न होना प्रमुख कारण है आजादी के पचहन्तर शाल बाद भी महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार न होना एक चिन्ता का विषय है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार महिला को प्राप्त संवैधानिक अधिकार व उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे।

संदर्भ-

1. अंसारी एम,ए. (2001) "महिला और मानवधिकार" ज्योती प्रकाशन जयपुर
2. कानिटकर मुकुल "भारत में महिला शिक्षा" समाज व सरकार की भूमिका, योजना सितम्बर 2016
3. नटाणी सोभा : भारतीय समाज और नारी दशा एवं दिशा मार्क पब्लिकेशन्स, जयपुर।
4. साहू एस (2016) भारत में लडकियों की शिक्षा: स्थिति और चुनौतिया
5. शाली एस के. (2018) भारत में महिला अधिकारिता के मुद्रदे और चुनौतियां IICRT